an>

Title: Demand for a separate fishery industry.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में संसार की शायद सबसे खूबसूरत कोस्टल लाइन है, जिसके मुहाने पर बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और लगभग तीस मिलियन लोग फिशिंग का कार्य करते हैं। प्रतिवर्ष देश की जीडीपी में लगभग .7 प्रतिशत हिस्सेदारी करते हैं। फिशरीज उद्योग कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कृषि मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, जिसके ऊपर देश के किसान, फसल, फसल योग्य भूमि और उनके विकास का बहुत बड़ा कार्य है। इसी कारण फिशरीज पर यह मंत्रालय उतना ध्यान नहीं दे पाता है। वर्ष 2013 और वर्ष 2014 के बजट में फिशरीज डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 317 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसका बहुत बड़ा भाग रिसर्च और ट्रेनिंग में खर्च किया गया, सिर्फ 8.4 करोड़ रुपये मछुआरों की वेलफेयर के लिए खर्च हुए। देश के उत्तरी भाग को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में कोस्टल लाइन है और सभी राज्यों की फिशिंग मिनिस्ट्रीज को केन्द्र के कृषि मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए केन्द्र सरकार में अलग से मत्स्य उद्योग मंत्रालय की अत्यंत आवश्यता है, जिससे इतने बड़े फिशरीज उद्योग का अच्छी तरह विकास हो सके। मछली उद्योग से जुडे कई संस्थान जैसे नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, इंडियन फिशरीज इंडस्ट्रीज फेडरेशन अलग फिशरीज मिनिस्ट्री की मांग वर्षों से करते आ रहे हैं। उनकी इस मांग का मैं पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और एक स्वतंत्र मत्स्य उद्योग मंत्रालय की स्थापना हेतु कैबिनेट से मंजूरी लें। इससे मछली उद्योग से जुड़े छोटे-छोटे मछुआरों का विकास होगा, उनका जीवनयापन सुधरेगा और साथ ही, उनके शोषण पर भी अंकुश लगेगा।

माननीय अध्यक्ष :

श्री अरविंद सावंत,

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे,

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।